प्रार्थना पत्र

सेवामे,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय जी,
उपखण्ड कार्यालय फूलिया कलां
जिला भीलवाड़ा (राज0)

52
28.2.18

विषय–: पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान नही करने बाबत्।

अनवान – प्रकरण स0 ~~/17~~ 22/2018 भेरू लाल बनाम रामनाथ वगेरह

प्रार्थी–: घीसा लाल पिता सोहनदास, राजेन्द्र पिता मिठ्ठू लाल वेष्णव नि0 धनोप वगेरह

महोदय जी,

उपरोक्त विषय मे निवेदन हैं कि उक्त प्रकरण मे प्रार्थी भेरू लाल पिता रतन लाल, रमेश लाल पिता रतन लाल खाती नि0 धनोप के द्वारा अपनी ग्राम धनोप की खाता स0 494 की आ0न0 277,277/4168 कुल किता 2 रकबा 0.58 हेक्टेयर की पत्थरगढ़ी पुर्व मे आप श्रीमान के आदेश से प्र0 स0 570/2016 से दिनांक 26/05/2017 को पत्थरगढ़ी करा चुका है। अब प्रार्थी हमे नाजायज परेशान करने के लिये वापस पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। अतः प्रार्थी प्रार्थना पत्र को खारीज फरमाकर पत्थरगढ़ी आदेश प्रदान नही करने की कृपा करे।

दिनांक 28/02/2018

हस्ता0 प्रार्थी

घीसालाल वैष्णव

भु0 अभिलेख निरीक्षक ....[illegible]........ तहसील फूलिया कलॉ

मौका पर्चा पत्थरगढी

आज दिनाक....26-5-2017.... को श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय फूलिया कलॉ के आदेश कमांक प्र.स. 520/2016........ निर्णय दिनाक 11-2-2017 व श्रीमान तहसीलदार सा. के आदेश कमांक / राजस्व / [illegible] 17/2017 दिनांक....27-5-17....... की पालना में ग्राम......[illegible]...................... के आ.न. 277, 277/ч168 रकबा क्रमश: 0.57, 0.01 की पत्थरगढी करने हेमराह पटवार हल्का ......[illegible]............... के साथ मौके पर पहुंचा।

मौके पर उपस्थित मौतविरान , वादी एंव प्रतिवादी के समक्ष उक्त आराजियात का राजस्व नक्शे से मुस्तकिल निशान आ.चा. .... से नापचौक कर निम्नानुसार कुल ....पत्थर गढवाये गये जिसका नजरी नक्शा निम्नानुसार है।

और आ.न. 277/0.57 277/ч168/0.01

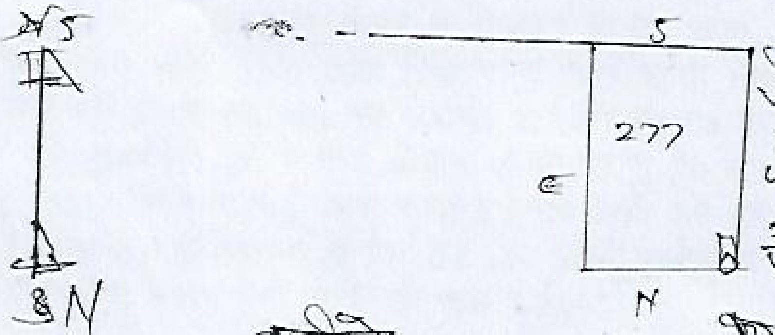

कुल रकबा 0.58 हेक्टेयर है जबकि नक्शा 0.63 हेक्टेयर का बना हुआ है वादी का मौके पर 0.58 हेक्टेयर पर कब्जा है अत: नक्शा व रिकार्ड दृष्टि से कब्जे में 0.05 हेक्टेयर का अन्तर है

वादी ने मौके पर पत्थर नहीं लगाने दिये

[illegible] लाल स्याही संतुष्ट नहीं

पत्थरगढी से उपस्थित वादी........................ एंव प्रतिवादी [illegible] सहमत है। प्रतिवादी राजेन्द्र S/o [illegible] भैरूलाल पिता [illegible] असहमत है। लाल स्याही अंकित भूमि.............................. पर प्रतिवादी का कब्जा मौतविरान ने बताया। उपस्थित वादी एंव प्रतिवादी को पाबन्द किया गया कि बिना किसी सक्षम न्यायालय की अनुमति के पत्थर नही हटाने अन्यथा नियमानुसार विधि सम्मत कार्यवाही के लिए वे स्वंय जिम्मेदार होगे। पत्थरगढीनुसार कब्जा प्राप्त करने के लिये वादी एंव प्रतिवादी नियमानुसार सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर अनुतोष प्राप्त करे।

वादी ने [illegible] नहीं [illegible]

पर्चा मौका पढकर सुनाया गया उपस्थित मोतविरान के हस्ताक्षर एंव निशानी करवाये गये।

I.L.R. धनोप

भैरूलाल प्रतिवादी मौके पर उपस्थित नहीं है।

रामनाथ भाटी

रमेशखाती (वादी)

हीरालाल साहु

(राजेन्द्र वेष्णव)

नि: लहू 2